# उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2024

उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

## विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में एतदद्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा जायेगा।

(2) यह गजट में इसके प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1965 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) में धारा 2 के खंड (2) में,—

(एक) शब्द ''कुशल'' के पश्चात् शब्द ''अर्द्ध–कुशल'' बढ़ा दिये जायेंगे; और

(दो) शब्द ''चार सौ'' के स्थान पर शब्द ''चौबीस हजार'' रख दिये जायेंगे।

धारा 8 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (3) में, शब्द ''अपर या उप'' जहाँ कही भी आये हो के पश्चात शब्द ''या सहायक'' बढ़ा दिये जायेंगे।

# उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश में श्रमिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिये एक निधि की स्थापना और प्रचालन से सम्बन्धित विधि को समेकित और संशोधित करने के लिए उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965 अधिनियमित किया गया है।

उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नियोजित कर्मकारों के कल्याण के लिए पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण बोर्ड की स्थापना की गयी है। उक्त बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि से कर्मकारों के लाभ हेतु विभिन्न योजनाएं प्रचालित की जाती है। उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण बोर्ड को राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता/अनुदान नहीं दिया जाता है। वर्तमान परिदृश्य में राज्य के कर्मकारों की अधिकतम संख्या को उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण बोर्ड में उन्हें रजिस्ट्रीकृत करके लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 2 एवं 8 का संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2024 पुरः स्थापित किया जाता है।

अनिल राजभर

मंत्री,

श्रम।

**उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2024 द्वारा संशोधित की जाने वाली मूल अधिनियम की संगत धाराओं का उद्धरण**

## उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965

धारा 2 (2) ''कर्मचारी'' का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो कि अधिष्ठान में भाड़े या पारितोषिक पर, कोई कुशल या अकुशल, शारीरिक या लिपिक कार्य करने के लिये सेवायोजित हो और इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो पर्यवेक्षी कार्य करने के लिये सेवायोजित किया गया हो, यदि उसकी मजदूरी चार सौ रुपये प्रतिमाह से अधिक न हो,

धारा 8 (3) राज्य सरकार श्रम विभाग के एक या अधिक अधिकारियों अथवा किसी अन्य व्यक्ति या किन्हीं अन्य व्यक्तियों को पदेन या पूर्णकालिक अपर या उप–श्रम कल्याण आयुक्त नियुक्त कर सकती है। ऐसे अपर या उप-श्रम कल्याण आयुक्त इस अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा कृत्यों का सम्पादन करेंगे जो परिषद, राज्य सरकार के अनुमोदन से, आदेश द्वारा निर्दिष्ट करें। परिषद ऐसी स्थानीय सीमायें भी निर्धारित कर सकती है जिनके भीतर ऐसा कोई अपर या उप–श्रम कल्याण आयुक्त इस प्रकार निर्दिष्ट अधिकारों का प्रयोग या कर्तव्यों का सम्पादन करेगा।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 69 सा0 विधायी–31–7–2024–(501)–1,000 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

69 Sa. Vidhai (sharm kalyan) 2024-(vidhaika-21-folder) data 4e

THE UTTAR PRADESII LABOUR WELFARE FUND (AMENDMENT) BILL, 2024

A

BILL

*further to amend the Uttar Pradesh Labour Welfare Fund Act, 1965.*

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Labour Welfare Fund (Amendment) Act, 2024.

(2) It shall come into force with effect from the date of its publication in the *Gazette*.

Amendment of Section 2 of U.P. Act no. 14 of 1965

2. In the Uttar Pradesh Labour Welfare Fund Act, 1965 (hereinafter referred to as the " principal Act"), in clause (2) of section 2,-

(i) *after* the word "skilled", the words "semi - skilled" shall be *inserted*; and

(ii) *for* the words "four hundred", the words "twenty four thousand" shall be *substituted*.

Amendment of section 8

3. In sub-section (3) of section 8 of the principal Act, *after* the words "Additional or Deputy", wherever occurring, the words "or Assistant" shall be *inserted*.

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Labour Welfare Fund Act, 1965 has been enacted to consolidate and amend the law relating to the establishment and operation of a fund for promoting welfare of labour in Uttar Pradesh.

For the welfare of workers employed in various industrial establishments of the State of Uttar Pradesh the Uttar Pradash Labour Welfare Board has been established under section 4 of the aforesaid Act. Various schemes for the benefit of workers are operated by the said Board form the Uttar Pradesh Labour Welfare Fund. The Uttar Pradesh Labour Welfare Board is not given any financial assistance/grant by the State Government or Central Government. In the present scenario, with the aim of providing benefits to maximum number of workers of the State by registering them in the Uttar Pradesh Labour Welfare Board, it has been decided to amend section 2 and 8 of the aforesaid Act.

The Uttar Pradesh Labour Welfare Fund (Amendment) Bill, 2024 is introduced accordingly.

ANIL RAJBHAR
*Mantri,*
*Shram.*

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 70 सा0 विधायी–31–7–2024–(502)–400 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।
70 Sa. Vidhai (sharm kalyan) 2024-(vidhaika-21-folder) data 4e